

बिहार सरकार,
लघु जल संसाधन विभाग,

संचिका सं०:-योजना-108/2018 1236 (मौ०)
प्रेषक,

/पटना, दिनांक:- 19-06-2020

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार।

सेवा में,
सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल,.....।

विषय:- योजनाओं के कार्य में प्रगति के संबंध में।

महाशय,

जिलावार योजनाओं की समीक्षा में पाया जा रहा है कि बहुत से संवेदकों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अथवा 50 प्रतिशत से कम कार्य किया गया है। ऐसे संवेदकों पर कार्रवाई के लिए विभागीय पत्रांक-1046(मो०), दिनांक-29.05.2020 द्वारा उन्हें डिवार करने का निदेश दिया गया है।

निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्रांक-919(मो०), दिनांक-13.05.2020 द्वारा 15 जून 2020 तक Time extension देने के बावजूद भी जिन संवेदकों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अथवा काम में अतिशय विलम्ब किया जा रहा है अथवा कार्य की प्रगति 80 प्रतिशत से कम है उन्हें डिवार कर दिया जाय।

विश्वासभाजन,



विशेष सचिव

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार।

ज्ञापांक-1236 (मौ०)

/पटना, दिनांक-19-06-2020

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल,/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग,..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार।

